



'ग्रामीण सेवा शिविर -2025'

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आवूपर्वत
(पीठासीन अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर/कैम्प कोर्ट - डुंगर)

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का डुंगर मू अ निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुशंका के आधार पर राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसारण में ग्राम डुंगर मू अ निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरौही की जमावन्दी सम्बत 2026-29 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	डुंगर	49	6771 - भूप कापू	6771 - रेवारी

(डॉ. अशु प्रिया)

आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आवूपर्वत

दिनांक- 18.09.2025

क्रमांक / प्रा.से.शि. / कोर्ट / 2025 / 116

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री परवारी डुंगर को सूचनार्थ।
3. रमित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आवूपर्वत

